A-49011/20/2025-OL 1/2422745/2025





पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002 Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002 ईमेल/Email: rajbhasha-hq@esic.nic.in वेबसाइट/Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

संख्या: ए-49011/20/2025-रा.भा.

दिनांक: अप्रैल, 2025

आदेश

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी ने आदेश दिया है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी की विधि शाखा और राजभाषा शाखा में पदस्थ ऐसे कार्मिक जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, इस आदेश के जारी होने की तिथि से टिप्पण, प्रारूपण और अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए कार्यालय में केवल हिन्दी का प्रयोग करेंगे।

तथापि, जहां तक नियमों और किसी विधि के अंतर्गत किसी अन्य भाषा का प्रयोग करना अपेक्षित है, वहां अन्य भाषा का उक्त कार्यालय के सरकारी कामकाज में प्रयोग किया जा सकेगा।

> (श्याम कुमार) संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

सेवा में,

क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, पूर्वोत्तर क्षेत्र, बामुनी मैदान, गुवाहाटी-21 (असम)